सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 12/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 20.03.2017
निर्णय दिनांक – 09.04.2018

1. श्रीमती हेमन्त पुत्री दौलतराम पत्नि खुशकुमार श्रीमाली निवासी जे–25ए, झांसी की रानी कॉलोनी, भारी पानी संयत्र कॉलोनी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

– अपीलान्टस्

बनाम

1. डिपुल कुमार पिता स्व. श्री दौलतराम जी, निवासी श्रीमालियों की कड़िया, तहसील बडगावं, उदयपुर हाल 154, रावजी का हाटा, उदयपुर।
2. श्रीमती विमला पत्नि दिनेश जी श्रीमाली पुत्री स्व. श्री दौलतराम, निवासी शिव कृपा, ई–5, आर्शीवाद नगर, नागदा रेस्पोडेंट की गली, आयड़, उदयपुर।
3. श्रीमती मुक्ता पत्नि महेन्द्रजी श्रीमाली, पुत्र स्व. श्री दौलतराम जी श्रीमाली, निवासी कंचन कुटिया, बडगावं, उदयपुर।
4. श्रीमती छाया पत्नि विनोद जी श्रीमाली, पुत्र स्व. श्री दौलतराम जी श्रीमाली, निवासी चांद बावड़ी ओझा स्ट्रीट, जोधपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री संजय सेन – वकील अपीलान्ट
2. श्री युगल किशोर दशोरा – वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या–1

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, बड़गावं दिनांक 15.12.2016 प्रकरण संख्या 12/2016

निर्णय

दिनांक 09.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, बड़गावं दिनांक 15.12.2016 प्रकरण संख्या 12/2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम श्रीमालियों की कड़िया में खाता संख्या 118 किता 128 रकबा 85 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 122 किता 11 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 123 किता 1 रकबा 15 बिस्वा एवं खाता संख्या 116 किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 142 कुल रकबा 94.13 बीघा कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के मूल खातेदार स्व. श्री दौलतराम पिता कालूलाल जी थे। उपरोक्त वर्णित आराजीयात किता 142 रकबा 94.13 बीघा भूमि का 1/2 हिस्से की वसीयत श्री दौलतराम जी द्वारा दिनांक 07.06.2009 को निष्पादित कर वसीयतनामा अनुसार डिंपुल कुमार को दे दी। श्री डिपुल कुमार के पिता स्व. श्री दौलतराम की मृत्यु दिनांक 17.11.2011 को हो गई। पूर्व में स्व. दौलतराम द्वारा निष्पादित वसीयत नामें में स्व. दौलतराम की उत्तराधिकारी रेस्पों. संख्या 2 व 4 दोनों पुत्रियों द्वारा अपनी सहमति दे दी थी। तथा रेस्पों. सं. 3 द्वारा दिनांक 28.07.2014 का अनरजिस्टर्ड हक त्याग रेस्पों–1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। रेस्पों. सं.–1 श्री डिपुल कुमार ने स्व. श्री दौलतराम जी तमाम जायदाद पर प्रार्थी का स्वामित्व आधिपत्य होने एवं प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी स्व. श्री दौलतराम जी इस वसीयत बाबत कौई आपत्ति नहीं है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2016 को तहसीलदार बड़गावं के समक्ष पेश किया। तहसीलदार बड़गावं ने माननीय सिविल न्यायालय शहर दक्षिण उदयपुर में वसीयत के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद रेस्पों. संख्या 1 द्वारा पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने वसीयतकर्ता श्री दौलतराम जी द्वारा की गई वसीयत की सम्पत्ति (भूमि) उनकी पैतृक सम्पत्ति थी एक मात्र पुत्री हेमन्त उपस्थित नहीं हुई व न ही कोई जवाब पेश किया अर्थात श्रीमती हेमन्त द्वारा न तो कोई उजर किया या एतराज प्रस्तुत किया है। काफी समय देने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य, सबूत की पालना में मौन स्वीकृति है एवं इस अंपजीकृत वसीयत की पुष्टि करती है। अन्यथा एतराज प्रस्तुत करती। अतः उनके विधिक वारीसानों में इस वसीयत को लेकर कोई विवाद नहीं होना प्रतीत होता है। अर्थात वसीयत वाद रहित है। ऐसी स्थिति में वसीयत ग्रहिता के पक्ष में राजस्व रेकाड्र में वसीयत से प्राप्त सम्पत्ति श्री डिपुल कुमार श्रीमाली, रेस्पो.1, के नाम राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण का अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 15.12.2015 को तहसील बड़गावं द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। वकील रेस्पों संख्या–1 उपस्थित। वकील रेस्पों. सं.–1 की बहस दिनांक 29.01.2018 को सूनी एवं लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। वकील अपीलान्ट को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 14.02.2018 को लिखित बहस पेश की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक भूमि होकर अपीलान्ट का जन्म से ही उसमें हक व अधिकार निहित है तथा वादग्रस्त भूमि दौलतराम जी स्वअर्जित न होकर अपने पिता कालूलाल जी से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा श्री दौलतराम जी को उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वसीयत की जांच किये बिना तथा वसीयत को साबित कराये बिना ही वसीयत की पुष्टि मान अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया वह काबिल निरस्त के है। पटवारी ग्राम पंचायत कड़िया द्वारा जो अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार बड़गावं को प्रस्तुत की गयी थी उसमें भी स्पष्ट अंकन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। मौजूदा रेस्पों संख्या–1 ने सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2016 प्रस्तुत किया है जो केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी कर दिये जाने से अपीलान्ट के हक व अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। यदि रेस्पों. सं.–1 कथित वसीयत अपने स्वयं की होना उचित बताता है तो उसे अपनी तीसरी बहन मुक्ता श्रीमाली द्वारा सम्पत्ति रिलीज डीड कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके द्वारा सम्पत्ति में निहित उसके हिस्से को रिलीज कराना जाना ही वसीयत दिनांक 07.06.2009 को संदिग्ध प्रतीत करता है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि दौलतराम जी पिता कालूलाल श्रीमाली के विधिक वारिसान के नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 निरस्त फरमाये जाने का कथन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि अपील मेमो में वर्णित आराजियात स्व. दौलतराम जी ने अपने जीवनकाल में तमाम प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारियों की सहमति से दिनांक 07.06.2009 को एक वसीयत निष्पादित की थी। इस वसीयत के अनुसार स्व. दौलतराम जी तमाम स्वअर्जित एवं पैतृक सम्पत्ति तमाम प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारियों को सहमति से जरिये वसीयत अपने एक मात्र पुत्र डिपुल कुमार के नाम लिख दी थी। दिनांक 17.11.2011 को दौलतराम जी का स्वर्गवास हो गया था। तत्पश्चात् वादवर्णित तमाम जायदाद जरिये वसीयत डिपुल कुमार को अंतरण हो गई थी। स्व. श्री दौलतराम की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री श्रीमती हेमन्त के मन में खोट आ गई। वह भूमाफियाओं के साथ मिलकर स्व. दौलतराम जी के बातैर खातेदारी स्वामित्व आधिपत्य की जायदाद जो डिपुल कुमार को जरिये वसीयत अंतरण हो चुकी थी, को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हुई थी। स्व. दौलतराम जी वारिसान व जायदाद के मालि डिपुल कुमार श्रीमाली ने एक सिविल बाद माननीय सिविल न्यायाधीश, उदयपुर में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का श्रीमती हेमंत श्रीमाली अपीलार्थी आदि के विरूद्ध पेश किया था। जिसमें डिपुल कुमार श्रीमाली ने जरिये वसीयत स्व. श्री दौलतरामजी की तमाम चल–अचल सम्पत्ति का मालिकाना हक जरिये वसीयत दिनांक 07.06.2009 से अपने आपको बताया था। तत्पश्चात् सिविल न्यायालय ने

वसीयत को सही मानकर डिपुल कुमार श्रीमाली को स्व. श्री दौलतराम जी तमाम चल–अचल सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पैतृक का मालिक मानकर उसके हक में निर्णय पारित फरमाया था जो तहसीलदार की पत्रावली पर भी रेकर्ड मौजूद है। उक्त सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.01.2016 को अपीलार्थी हेमंत श्रीमाली ने किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है, अर्थात उसने सिविल न्यायालय के उक्त निर्णय को मान लिया था। डिपुल कुमार के जरिये वसीयत स्वामित्व व आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था एवं तमामा जायदाद इस प्रकार सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.01.2016 से डिपुल कुमार को अंतरण में प्राप्त हुई है तथा डिपुल कुमार स्व0 दौलतराम की तमाम जायदाद का मालिक बन गया था और निरन्तर एवं निर्विघ्न रूप से उसका उपयेाग उपभोग कर रहा है। तत्पश्चात् डिपुल कुमार रेस्पोडेंट ने तहसीलदार के यहा अपील वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, इस प्रार्थना पत्र के आधार पर माननीय तहसीलदार, बड़गावं ने स्व. दौलतराम जी श्रीमाली के तमाम प्रथम श्रेणी अधिकारियों को नोटिस जारी किया था व पेशी तारिख नियत की गई थी। स्व. दौलतराम जी श्रीमाली के तमाम प्रथम श्रेणी अधिकारियों में हेमन्त श्रीमाली के अलावा तमाम उत्तराधिकारियों ने लिखकर दे दिया कि वसीयत सही है, जायदाद का मालिक डिपुल कुमार है। वक्त वसीयत निष्पादन अपीलार्थी हेमन्त श्रीमाली ने भी जायदाद जरिये वसीयत डिपुल कुमार को अंतरण करने की सहमति हमारे सामने दी है। अपीलान्ट तहसीलदार के यहा भी वकालत पत्र पेश कर न तो उसने जवाब पेश किया और ना ही तहसीलदार के यहां बतौर पक्षकार ही उपस्थित हुआ है। तहसील न्यायालय के इस प्रकार पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर सभी पक्षों का पूर्ण अवसर देकर राजस्व जमाबंदी में अपील में वर्णित कृषि भूमि डिपुल कुमार श्रीमाली के नाम अंतरण का आदेश प्रदान किया है, जो विधि अनुरूप है। अपील में वर्णित जायदाद के स्वामित्व बाबत तथा वसीयत को सही मानकर सिविल न्यायालय ने रेस्पोडेंट डिपुल कुमार के हक में निर्णय पारित किया है और माननीय तहसील न्यायालय ने भी विधि अनुसार सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने सिर्फ रेस्पोडेंट को परेशान व ब्लैकमेल करने क़े इरादे से गैर कानूनी ढंग से अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। सिविल न्यायालय के निर्णय की अंतिमता राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी है। सिविल न्यायालय में वसीयत विधिवत सिद्ध कर दी गई। सिविल न्यायालय का निर्णय अंतिम हुआ। पक्षकार के लिये वसीयत को राजस्व न्यायालय में लम्बित मामलें में पुनः सिद्ध करना आवश्यक नहीं। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त श्री रघुनाथ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निर्णय दिनांक 04.02.2000 राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैंच एवं भीखालाल बनाम शान्तीदेवी निर्णय दिनांक 17.04.2008 राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैंच में वसीयत का पंजीयन अनिवार्य नहीं होना स्पष्ट किया गया है। अंत में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि स्व. श्री दौलतराम जी द्वारा स्वअर्जित न होकर उसके पिता कालूलाल जी से विरासत में प्राप्त हुई थी जिस पर श्रीमती हेमन्त अपीलान्ट की पैतृक भूमि होकर उसका जन्म से ही उसमें हक व अधिकार निहित है। पटवारी ग्राम पंचायत कडिया की जांच रिपोर्ट अनुसार स्व. श्री दौलतराम के विधिक वारिसानों में उनके एक पुत्र डिपुल कुमार एवं 4 पुत्रिया श्रीमती हेमन्त, विमला, मुक्ता एवं छाया है। रेस्पोडेंट अनुसार उक्त नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया जिसे सिविल न्यायालय में विधिवत सिद्ध कर दी गई। परन्तु विवादित भूमि स्व. श्री दौलतराम की स्व–अर्जित सम्पत्ति न होकर मौरूसी जायदाद है जिसमें उनसे उसके पुत्र एवं 4 पुत्रियों का हक व अधिकार निहित है। प्रकरण में अपीलान्ट के अलावा अन्य 3 पुत्रियों द्वारा अपना हक त्याग दिया गया है एवं अपीलान्ट का उक्त मौरूसी जायदाद में हक व अधिकार निहीत है। तहसीलदार (भू.अ.), बडंगावं ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2018 में बताया कि विवादित भूमि स्व. श्री दौलतराम को विरासत से प्राप्त हुई है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित अभिलेख भी संलग्न कर वादग्रस्त भूमि मौरूसी होना बताया है जिसमें सभी विधिक वारिसान का हक निहित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बडगांव का निर्णय दिनांक 15.12.2017 पूणतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, बडगांव का निर्णय दिनांक 15.12.2017 अपास्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को सूनकर विरासत एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर